कार्यकारी सार

कार्यकारी सार

प्रस्तावना

दामोदर घाटी निगम (निगम) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत जुलाई 1948 में गठित किया गया था। निगम की भागीदारी सरकारों में, केन्द्र सरकार, झारखण्ड सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार हैं। राष्ट्रीय विद्युत नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अर्थात ''2012 तक सभी को विद्युत'' मुहैया करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), भारत सरकार (जीओआई) ने 11वीं योजना में 68,869 मे.वा. का क्षमता वर्धन लक्ष्य निर्धारित किया जिसमें कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना 46635 मे.वा. थी। निगम ने 11वीं योजना अवधि के दौरान 6250 मे.वा. (अकेले निगम द्वारा 4700 मे.वा. और संयुक्त उद्यम के माध्यम से 1550 मे.वा.) की विद्युत उत्पादन क्षमता वृद्धि करने की योजना बनाई। 31 मार्च 2014 तक इसके पास कुल 5857.2 मे.वा. (ताप 5710 मे.वा. तथा जल 147.2 मे.वा.) की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता थी।

2007-12 की अवधि के दौरान निगम 4200 मे.वा. की कमी के साथ केवल 500 मे.वा. अर्थात 4700 मे.वा. (स्वयं की परियोजनाएं) के लक्ष्य में 11 प्रतिशत की वृद्धि कर सका।

[अध्याय 1]

लेखापरीक्षा क्षेत्र

इस निष्पादन लेखापरीक्षा में 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के दौरान 4700 मे.वा. (स्वयं की परियोजनाएं) की क्षमता बढ़ाने के लिए सभी विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संप्रत्ययीकरण के निगम के सभी कार्यकलापों को शामिल किया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना में छितरी 1000 मे.वा. (4 x 250 मे.वा.) की दो विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन की भी लेखापरीक्षा में जांच की गई थी।

[पैरा 2.1]

लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्या:

- परियोजनाओं का चयन आर्थिक व्यवहार्यता और भारत सरकार की नीति की सम्पूर्ण आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया गया था;
- परियोजनाएं तथा ठेके पर्याप्त मितव्ययिता, दक्षता, प्रभावकारिता और स्थापित मार्गनिर्देशों के अनुपालन में संचालित किए गए थे;
- प्रभावी मॉनिटरिंग तन्त्र विद्यमान था; और
- क्षमता वृद्धि कार्यक्रम में स्थापित उद्देश्य प्राप्त किए गए थे।

[पैरा 2.1]

प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष

10वीं योजना में छितरी परियोजनाएं

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एमटीपीएस यूनिट # 5 एवं 6 में, डीपीआर पर्याप्त जांच बिना तैयार की गई थी और आदेशों के अन्तिमीकरण के बाद कमियां देखने में आई थीं जिसके परिणामस्वरूप विलम्ब हुआ।

[पैरा 3.1.1]

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीटीपीएस यूनिट # 7 एवं 8 में ठेकेदार को भूमि सौंपने में विलम्ब, कार्यस्थल पर सामग्री के लदान हेतु भण्डारण स्थान की अनुपलब्धता, स्थानीय कानून तथा व्यवस्था समस्याओं, इस्पात तथा सीमेंट की कीमत में असाधारण वृद्धि आदि के कारण आरम्भ में 26 माह के लिए निर्माण कार्य नहीं हुआ।

[पैरा 3.1.2]

11वीं योजना परियोजनाएं

कोयले की आवश्यकता का निर्धारण और उसका संयोजन

क्षमता वृद्धि कार्यक्रम के लिए कुल कोयला आवश्यकता 22.63 एमएमटीपीए थी जिसके प्रति एफएसए केवल 17.33 एमएमटीपीए कोयले के लिए किया गया था। निगम अपने अधिकार के तीन अधीन कोयला ब्लाकों में से मात्र एक कोयले ब्लाक का विकास कर सका।

[पैरा 3.2.1]

अधीन कोयला ब्लाकों के विकास में विलम्ब के कारण निगम ने सस्ता कोयला उपयोग करने का अवसर गंवा दिया। इसके अलावा इसको एसीक्यू के अतिरिक्त कोयले की खरीद के प्रति पीआई के रूप में अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ी थी।

[पैरा 3.2.1.4]

ठेका प्रबन्धन

ठेका प्रबन्धन के विभिन्न चरणों पर कमियां हुई थीं और ठेकों का सफल तथा सामयिक निष्पादन का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

[पैरा 3.2.2]

निगम की नियम पुस्तक के अनुसार ठेका निविदा आमंत्रण की तारीख से 161 दिनों के अन्दर दिया जाना चाहिए। 13 ठेकों में से सात ठेके 12 से 117 दिनों के बीच विलम्ब से अन्तिम किए गए थे। इसके अलावा, चार ठेकों के सम्बन्ध में विलम्ब 100 दिनों से अधिक थे। विलम्ब के मुख्य कारण बोली प्रस्तुतीकरण तारीखों में वृद्धि और कीमत बोलियों के अन्तिमीकरण के दौरान कार्य के क्षेत्र में तलाशी गई कमियां थे।

[पैरा 3.2.2]

चार ठेकों के संबंध में निर्णीत मूल्य अनुमानित लागत की अपेक्षा पर्याप्त रूप से कम था और 22.78 प्रतिशत तथा 46.26 प्रतिशत के बीच था। चार ठेकों के निर्णीत मूल्य 18.28 से 45.50 प्रतिशत के बीच तक अनुमानित लागत से अधिक थे। आगे यह पाया गया था कि दो मामलों में अनुमान अवास्तविक थे और शेष दो मामलों में प्रबन्धन ने ऐसा व्यापक अन्तर अभिनिश्चित करने के लिए कोई विश्लेषण नहीं किया था।

[पैरा 3.2.2]

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ठेकेदारों द्वारा सामग्री, जनशक्ति तथा मशीनरी के अल्प जुटाव के साथ-साथ अवसंरचना जैसे भूमि, पहुँच मार्ग, स्पष्ट अग्रभाग और जल स्रोत आदि की अनुपलब्धता के कारण सभी 21 ठेकों के निष्पादन में 15 से 54 महीनों के बीच विलम्ब हुआ था।

[*पैरा 3.2.2]*

परियोजना निष्पादन

निगम 4700 मे.वा. के लक्ष्य के प्रति 11वीं योजना अवधि के दौरान केवल 500 मे.वा. यूनिट की वृद्धि कर सका।

[पैरा 3.2.3]

मेजिया ताप विद्युत केन्द्र (यूनिट # 7 एवं 8)

मुख्य संयंत्र पैकेज के निर्माण में स्पष्ट कार्य अग्रभागों, कोयला संयोजन, जल की अनुपलब्धता के कारण और कोयला प्रहस्तन संयंत्र की पूर्णता में विलम्ब के कारण विलम्ब हुआ था।

[पैरा 3.2.3.1.क]

एमटीपीएस # 7 एवं 8 की डीपीआर में शुष्क उड़न राख के उपयोग के निम्न स्तर के मामले में सम्पुर्ण राख धारित करने के लिए वर्तमान राख कुण्डों की क्षमता की पर्याप्तता का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं किया गया था।

[पैरा 3.2.3.1.ख]

दुर्गापुर इस्पात ताप विद्युत केन्द्र (2 x 500 मे.वा.)

उच्च क्षमता के लैगून 2 का दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (सेल) से भूमि की अनुपलब्धता के कारण निर्माण नहीं किया गया था और दोनों यूनिटों से उत्पन्न राख वर्तमान लैगून 1 में ढेर की जा रही थी जो पूर्णतया भर गया था। इस प्रकार दोनों यूनिटों से दीर्घकालीन उत्पादन दूसरा राख कुण्ड निर्मित किए जाने तक सम्भव नहीं होगा।

[पैरा 3.2.3.2]

कोडरमा ताप विद्युत केन्द्र (2 x 500 मे.वा.)

अपेक्षित भूमि के विशाल खण्ड का अधिपत्य न होने के कारण निगम स्थाई राख कुण्ड का निर्माण नहीं कर सका। इसके अलावा राख कुण्ड क्षेत्र से गुजरने वाली ग्रामीण सड़क योजना सड़क का विपथन भी लम्बित था। स्थाई राख कुण्ड के अभाव में निगम को सीओडी की आवश्यकता को पूरी करने के उद्देश्य से ₹ 36.50 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करने के द्वारा एक अस्थाई राख कुण्ड का निर्माण करना पड़ा था।

[पैरा 3.2.3.3]

बोकारो ताप विद्युत केन्द्र (बीटीपीएस 'ए' 1 x 500 मे.वा.)

बीटीपीएस 'ए' के निर्माण में पुरानी यूनिटों तथा स्थाई राख कुण्ड के विलम्बित विखण्डन और सीएसपी का निर्माण न होने के कारण विलम्ब हुआ था।

[पैरा 3.2.3.4]

रघुनाथपुर ताप विद्युत केन्द्र (आरटीपीएस 2 x 600 मे.वा.)

आरटीपीएस यूनिट # 1 एवं 2 के मुख्य संयंत्र पैकेजों, रेलवे कोरीडोर तथा संयंत्र जल प्रणाली का निर्माण मुख्यतया अपेक्षित भूमि के सम्पूर्ण खण्ड का अधिग्रहण न होने के कारण पूर्ण नहीं हो सका।

[पैरा 3.2.3.5]

मॉनिटिरिंग तन्त्र

निगम का मॉनिटिरिंग तन्त्र प्रभावी नहीं था क्योंकि इसने परियोजना बाधाओं को दूर करने में वांछित परिणाम प्राप्त नहीं किया था। यहाँ तक कि नियंत्रणीय कारक जैसे ठेकेदारों को प्रवेश मार्ग सौंपने, निर्माण ड्रांइग जारी करने में विलम्ब आदि भी परियोजना विलम्बों को नियंत्रित करने के लिए समय पर पूरे नहीं किए गए थे।

[पैरा 3.3]

अधिक लागत

पांच पूर्ण यूनिटों और विकसित चरण की एक यूनिट की वास्तविक लागत मूल अनुमोदित लागत की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक (₹ 4615 करोड़) थी और निर्माणाधीन शेष तीन यूनिटों की वास्तविक लागत मूल अनुमोदित लागत की अपेक्षा 42 प्रतिशत अधिक (₹ 2696 करोड़) थी।

[पैरा 3.4.1]

वेशी विद्युत

लेखापरीक्षा में देखा गया कि प्रतिष्ठापित नई यूनिटों की क्षमता का 39 प्रतिशत (975 मे.वा.) और 11वीं योजना परियोजनाओं की आने वाली यूनिटों की क्षमता का 33 प्रतिशत (725 मे.वा.) सम्भावित उपभोक्ताओं को आवंटित नहीं किया जा सका, परिणामस्वरूप विद्युत वेशी हो गई।

[पैरा 3.4.2]

इक्विटी पर अतिरिक्त प्रतिफल की हानि

11वीं योजना अवधि के दौरान निर्माण हेतु उद्दिष्ट विद्युत परियोजनाओं में से कोई भी निर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर प्रतिष्ठापित नहीं हुई थी परिणामस्वरूप ₹ 1011.73 करोड़ की इक्विटी पर अतिरिक्त प्रतिफल अर्जित करने का अवसर खो दिया।

[पैरा 3.4.3]

11वीं योजना के अधीन प्रतिष्ठापित यूनिट का निष्पादन

11वीं योजना के अधीन प्रतिष्ठापित सभी पांच यूनिटों का क्षमता उपयोग बायलर टयूब रिसावों, टर्बो जेनरेटर, विद्युत प्रणाली और नियंत्रण एवं उपकरणीकरण में समस्याओं/रूकावटों द्वारा हुए यूनिटों के बाध्य बहिरंश के कारण निम्न था। परिणामस्वरूप, निगम 2345.27 एमयू का उत्पादन नहीं कर सका और 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान निर्धारित लागत की अवसूली के प्रति ₹ 476.66 करोड़ की हानि उठाई।

[पैरा 3.4.4.1]

अधिकांश नई यूनिटों के संबंध में अतिरिक्त विद्युत खपत और तेल खपत सीईआरसी प्रतिमानों से अधिक थीं परिणामस्वरूप क्रमश: ₹ 20.05 करोड़ तथा ₹ 88.89 करोड़ की हानि हुई।

[पैरा 3.4.4.2 और 3.4.4.3]

सिफारिशें

1. *निगम विद्युत परियोजनाएं चालू करने से पूर्व कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित मंत्रालय के साथ मामला उठाए।*
2. *निगम केटीपीएस के राख कुण्ड हेतु भूमि के पूर्ण खण्ड के अधिग्रहण की समस्या को सुलझाने के लिए झारखण्ड सरकार के सम्बन्धित विभाग से मामला तत्परता से उठाए।*
3. *निगम और आगे विलम्ब का परिहार करने के लिए बीटीपीएस-ए के सीएचपी के एसआर के प्रतिष्ठापन हेतु शीघ्र कार्रवाई करे।*

4. *निगम आरटीपीएस की रेल अवसंरचना हेतु अपेक्षित भूमि के अधिग्रहण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मामला उठाए।*
5. *निगम आरटीपीएस के जल प्रणाली संयंत्र की शीघ्र पूर्णता के लिए भूमि के पूर्ण खण्ड की प्राप्ति हेतु पश्चिम बंगाल सरकार के सम्बन्धित विभाग के साथ मामला तत्परता से उठाए।*
6. *निगम सम्बद्ध यूनिट के प्रतिष्ठापन में और आगे विलम्ब का परिहार करने के लिए एनडीसीटी-1 के निर्माण को शीघ्र पूरा करने के लिए आरटीपीएस के ईपीसी ठेकेदार के साथ मामला उठाए।*